

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

उद्दयालता बनाम रामेश्वर (पौर)

किरम मुकदमा प्री.पत्र 111-128 नं. 64 मस 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज	मस्य व सगिअ अहकाम को हुस हुकम को सगिअ से जारी हु
8-6-20	<p>वाद / प्राथनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">8 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
7-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीअरसीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाधर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">र उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
28-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीअरसीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाधर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">र उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
7-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई ककील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी भर्तवा आवाजे फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, बन्दे विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ककील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृषड से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फिसेल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p style="text-align: center;">8 उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p>	

दिनांक  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 64/20 प्रा-पत्र

श्री उदयलाल डा. श्री सोहन लाल छोली निवासी - माण्डल तहसील

-प्रार्थी

बनाम

श्री रामेश्वर डा. श्री घीसा डाट निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (संगीत)  
(प्रा-पत्र की फौरी कांपी संलग्न है)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3445/1.....कुल किता.....01.....रकबा.....-.....बीघा.....18.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3445/1.....कुल किता.....01.....रकबा.....बीघा.....18.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल सिख भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल सिख भीलवाड़ा